

डकैती की योजना बनाते हुए 05 नफर शातिर अपराधी गिरफ्तार कब्जे से 01अदद पिस्टल 32 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद रिवाल्वर 32 बोर, 01अदद मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना दक्षिण टोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 13.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रैनी बगीचा वहद ग्राम रैनी के पास समय करीब 03.50 बजे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर , एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद रिवाल्वर 32 बोर, 01अदद टार्च व जामा तलाशी की 05 अदद मोबाइल व जमातलाशी के 470 रुपये व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया । उक्त प्रकरण के संबंध में मु0अ0सं0 215/2025 धारा 310(4)/310(5) बी0एन0एस0 व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया । तथा बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. विजय कश्यप पुत्र ध्यान कश्यप सा0 डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. आकाश सोनकर पुत्र मुनीब सोनकर सा0 अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. विशाल सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह सा0 कल्याणपुर थाना घोसी जनपद मऊ
4. अंकित सोनकर पुत्र राजाराम सोनकर सा0 अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. धनन्जय राजभर पुत्र राजेश राजभर सा0 कल्याणपुर थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 215/2025 धारा 310(4)/310(5) बी0एन0एस0 व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद पिस्टल 32 बोर ,
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर,
3. दो अदद नाजायज तमंचा 315 बोर,
4. दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
5. एक अदद रिवाल्वर 32 बोर,
6. एक अदद टार्च,
7. जामा तलाशी की 05 अदद मोबाइल,
8. 470 रुपये सील सर्व मुहर मय नमूना मुहर,
9. एक अदद मोटर साइकिल, (सीज)

अपराधिक इतिहास –

1. विजय कश्यप पुत्र ध्यान कश्यप सा0 डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
मु0अ0स0 215/25 धारा 310(4), 310(5), बीएनएस 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
मु0अ0स0 072/23 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना दक्षिण टोला ।
2. आकाश सोनकर पुत्र मुनीब सोनकर सा0 अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
मु0अ0स0 215/25 धारा 310(4), 310(5), बीएनएस 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
मु0अ0स0 93/22 धारा 147, 323, 452, 506 भादवि थाना दक्षिण टोला ।
3. विशाल सिंह पुत्र स्व0 मनोज सिंह सा0 कल्याणपुर थाना घोसी जनपद मऊ
मु0अ0स0 215/25 धारा 310(4), 310(5), बीएनएस 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
मु0अ0स0 56/25 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
4. अंकित सोनकर पुत्र राजाराम सोनकर सा0 अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
मु0अ0स0 215/25 धारा 310(4), 310(5), बीएनएस 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।
5. धनन्जय राजभर पुत्र राजेश राजभर सा0 कल्याणपुर थाना घोसी जनपद मऊ ।

मु0अ0स0 215/25 धारा 310(4), 310(5), बीएनएस 9/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला ।

मु0अ0स0 193/25 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस घोसी मऊ ।

मु0अ0स0 214/25 धारा 115(2), 351(2), 352 324(4) बीएनएस घोसी मऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
2. व0उ0नि0 बसन्तलाल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
3. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
4. उ0नि0 कैलाश जायसवाल, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊय ।
5. हे0का0 संतोष कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
6. हे0का0 दानबहादुर यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
7. ह0का0 सुरजीत कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
8. का0 अमरनाथ मौर्य, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
9. का0 सौरभ यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ ।
- 10.का0 अंकित यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 13.10.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखविर की सूचना पर नदवासराय अण्डर हाइवे के पास से मु0अ0सं0 491/23 धारा 363, 366, 368, 372, 341 भादवि में वाछित अभियुक्त सरवन राजभर पुत्र स्व0 अमृत राजभर

निवासी देवकली देवलास थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण -

विवरण-अभियुक्त सरवन राजभर पुत्र स्व० अमृत राजभर निवासी देवकली देवलास थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

अभियोग का विवरण –

1. मु०अ०सं० 491/23 धारा 363, 366, 368, 372, 341 भादवि थाना घोसी मऊ।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. निरीक्षक अपराध मोती लाल पटेल
3. हे०का० मनोज कुमार यादव
4. का० प्रशांत कुमार

फायरिंग मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक 13.10.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ताजोपुर मोड़ के पास से मु०अ०सं० 426/25 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त बावी उर्फ अभिनन्दन कुमार पुत्र स्व बिरजू राम निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. बावी उर्फ अभिनन्दन कुमार पुत्र स्व बिरजू राम निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग –

1. मु०अ०सं० 426/25 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 351(2) बीएनएस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1. उ०नि० मनोज कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला ।
2. का० जंग बहादुर थाना दक्षिण टोला ।
3. का० रवि प्रजापति थाना दक्षिण टोला ।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.10.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण प्रभुनाथ यादव पुत्र नरेश यादव निवासी मानिकपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, रामध्यान यादव पुत्र स्व० लुटावन निवासी टिकरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।